



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276333
CG-DL-E-21092026-276333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4888]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948

No. 4888]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

का.आ. 5079(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित संसद सदस्यों को नए एम्स के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

क्र. सं.	संस्थान का नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम
1	एम्स, अवन्तीपोरा	श्री गुलाम अली
2	एम्स, बठिंडा	डॉ. अशोक कुमार मित्तल
3	एम्स, भोपाल	श्री रजनीश कुमार अग्रवाल

4	एम्स, गुवाहाटी	श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
5	एम्स, जोधपुर	श्री मदन राठौड़
6	एम्स, विजयपुर	श्री सत पाल शर्मा
7	एम्स, मदुरै	श्री आई. एस. इनबादुरई

सदस्यगण का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28015/67/2026-पीएमएसएसवाई-IV (8414064)]

विजय नेहरा, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health & Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

S.O. 5079(E).— In exercise of powers conferred by Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following Members of Parliament as member of the Institute Body of new AIIMS:

Sr. No.	Name of the Institute	Name of the member elected
1	AIIMS, Awantipora	Shri Gulam Ali
2	AIIMS, Bathinda	Dr. Ashok Kumar Mittal
3	AIIMS, Bhopal	Shri Rajneesh Kumar Agrawal
4	AIIMS, Guwahati	Shri Birendra Prasad Baishya
5	AIIMS, Jodhpur	Shri Madan Rathore
6	AIIMS, Vijaypur	Shri Sat Paul Sharma
7	AIIMS, Madurai	Shri I. S. Inbadurai

The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28015/67/2026-PMSSY-IV (8414064)]

VIJAY NEHRA, Addl. Secy.